न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री ब्रह्मलाल जाट, आर.ए.एस.

वादी :–	बनाम	प्रतिवादी:–
रामेश्वरलाल पुत्र जीवणराम		राज. सरकार जरिये
जाति नाई सा. खाखड़की		तहसीलदार, नावां

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री हरिराम गुर्जर वकील वादी
श्री ओमप्रकाश शर्मा तहसीलदार नावां

मुकदमां नम्बर :– 107 / 2009 निर्णय दिनांक :– 03.04.2019

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खाखड़की के गत खसरा नम्बर 82 के नवीन भाग खसरा नम्बर 199 रकबा 1.65 हैक्टयर भूमि स्थित हैं दिनांक 19.08.1982 को आवंटन नियमान सलाहकार समिति की निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित बैठन में आवंटित की गई हैं उक्त भूमि सिंलिग से अधिग्रहित होकर राजकीय भूमि दर्ज होने के पश्चात दिनांक 19.08.1982 को गत खसरा नम्बर 82 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया हैं जिस पर आवंटन के दिन से निर्विवाद रूप से वादी काबिज कृषक चला आ रहा हैं। आवंटित भूमि का प्रिमियम राशि दिनांक 23.12.1983 को रसीद बुक नम्बर 89726 की रसीद संख्या 23 के द्वारा जमा करवा दी गई थी। वादी ने अपनी आवंटित भूमि की खातेदारी प्राप्त करने हेतु तहसीलदार नावां को कई बार लिखित एवं मौखिक आवेदन किया प्रशासन गावों के संग अभियान 2004 शिविर खाखड़की में भी वादी ने आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें पटवारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके बावजूद वादी को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किऐ गये हैं, प्रतिवादी 1 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार नावां को धारा 80 के तहत नोटिस देकर भी यह इस्तदुआ की गई जिसकी मयाद निकल जाने के बाद भी खातेदारी प्रदान नहीं करने पर यह वाद पेश किया है। वादी ने वाद प्रस्तुत कर ग्राम खाखड़की के गत खसरा नम्बर 82 के नवीन भाग 199 रकबा 1.65 हैक्टयर भूमि का खातेदार

उपखण्ड अधिक
नावां (नागौर

घोषित किऐ जाने एवं प्रतिवादी 1 को वादी के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने दिनांक 22.07.2010 को जवाब दावा पेश करते हुऐ वादी के वाद को अस्वीकार किया हैं तथा निवेदन किया हैं कि वादी का दिनांक 19.08.1982 से निरन्त निर्विवाद कब्ज होने का कथन गलत हैं, उक्त भूमि पर वादी का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा हैं बनावटी एवं मनघड़न्त तथ्यों पेश कर वाद पेश किया हैं, वादी राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमी होने से सक्षम राजकीय व कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली कानूनन सम्मत बेदखली से बचने की नियत से बनावटी तथ्यों के आधार पर यह वाद पेश किया हैं विवादित भूमि पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा हैं अतिक्रमण किया हैं जिससे वादी को इस भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। तत्पश्चात वादी के वाद में निम्नानुसार तनकीया कायम की गई।

1– आया राजस्व ग्राम खाखड़की के गत खसरा नम्बर 82 के भाग नवीन खसरा नम्बर 199 रकबा 1.65 हैक्टयर भूमि वादी को दिनांक 19.08.1982 को आवंटित की गई है।

.....वादी

2– आया खाखड़की के नवीन खसरा नम्बर 199 रकबा 1.65 की खातेदारी पाने का अधिकारी है।

.....वादी

3– आया खाखड़की के नवीन खसरा नम्बर 199 रकबा 1.65 हैक्टयर वादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी है।

.....वादी

4– आया वादी को ग्राम खाखड़की के खसरा नम्बर 82 में 10 बीघा भूमि के वैध खातेदारी अधिकार आवंटित नहीं हुऐ है।

.....प्रतिवादी

5– आया वादी का वाद मयाद बाहर होने से खारीज योग्य है।

.....प्रतिवादी

तनकीया कायम होने पर साक्ष्य वादी में वादी स्वंय एवं गवाह गोपालराम पुत्र डूंगाराम जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी खाखड़की व झूथाराम पुत्र दल्लाराम जाट उम्र 45 वर्ष निवासी खाखड़की के शपथ पत्र पेश किए हैं राजपैरोकार द्वारा जिरह व गवाह पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात वकील वादी व राजपैरोका तहसीलदार नावां की बहस सुनी गई

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया जाकर वाद का निर्णय तनकीवार निम्नानुसार है।

1. आया राजस्व ग्राम खाखड़की के गत खसरा नम्बर 82 के भाग नवीन खसरा नम्बर 199 रकबा 1.65 हैक्टयर भूमि वादी को दिनांक 19.08.1982 को आवंटित की गई है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था जिसकी तायद में वादी ने श्री आई.सी. चौधरी तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी परबतसर की अध्यक्षता में आयोजित भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 19.08.1982 की प्रमाणित प्रति पेश की हैं। जिसका अवलोकन किया गया जिसमें अंकित हैं कि विचारा विमर्श के आद निम्न व्यक्यिों को उनके सामने अंकित खसरा की भूमि आवंटित की गई यह भूमि सींलिग कानून के तहत अधिग्रहित की हुई हैं जिसकी सूची में 8 नम्बर पर वादी का नाम अंकित हैं जिसमें ग्राम खाखड़की के खसरा नम्बर 82 में से 10 बीघा भूमि वादी के नाम पर अंकित हैं। आवंटन प्रामाणित हैं परन्तु आवंटन के सींलिग प्रीमियम जमा करवाने व सनद इत्यादि जारी होने के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किऐ हैं। जिससे यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया खाखड़की के नवीन खसरा नम्बर 199 रकबा 1.65 की खातेदारी पाने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भी भार वादी पर था जिसकी तायद में वाद ने अपने वाद में मौखिक रूप से कहा हैं कि दिनांक 19.08.1982 से आज तक उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं जिसके समर्थन में वादी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। वादी ने उक्त भूमि आवंटन होना बताया हैं। भूमि आवंटन व नियमन एवं खातेदारी अधिकारो की घोषणा के नियम पृथक – पृथक हैं। वादी इस भूमि पर किसी प्रकार के हकूक रखता हैं तो, वे आवंटन नियमन नियमों के तहत ही प्राप्त कर सकता हैं, खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का वादी अधिकारी नहीं हैं। जिससे यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

3. आया खाखड़की के नवीन खसरा नम्बर 199 रकबा 1.65 हैक्टयर वादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर था पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि उक्त विवादित भूमि का वादी खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त साबित होता हो उक्त भूमि राजकीय सिवाय चक खाता संख्या 1 में दर्ज रिकार्ड हैं, जिसका स्वामित्व व

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

अधिकार प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार नावां हैं जिसके विरूद्ध वादी को स्थाई निषेधाज्ञा पाने का कोई अधिकार नहीं हैं जिससे यह तनकी भी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

4. आया वादी को ग्राम खाखड़की के खसरा नम्बर 82 में 10 बीघा भूमि के वैध खातेदारी अधिकार आवंटित नहीं हुऐ है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावें की तायद होती हैं। वादी आपने वाद के समर्थन में आवंटन नियमन सलाहकार समिति की बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति पेश की हैं। वादी ने आवंटन के बाद सींलिग नियमों तहत प्रिमीयम राशि जमा करवार कर सनद आदि जारी होने सम्बन्धि कोई दस्तावेज पेश नहीं किऐ हैं। जिससे तनकी संख्या 4 प्रतिवादी के हक में सिद्ध होती है।

5. आया वादी का वाद मयाद बाहर होने से खारीज योग्य है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के साथ प्रस्तुत आवंटन नियमन सलाहकार समिति की बैठक कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से विवादित भूमि दिनांक 19.08.1982 को आवंटन होना पाया गया हैं। आवंटिन भूमि पर अधिकार आवंटि को अधिकारी उक्त नियमों के तहत की जाने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया से ही प्राप्त हो सकते हैं जिसके लिऐ कोई समय सीमा की बाध्यता नहीं है न ही कोई समय सीमा निर्धारित हैं। जिससे यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी विवादित आवंटित भूमि पर अपने अधिकार आवंटन नियमन नियमों के तहत प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण करवाकर प्राप्त करने के लिऐ स्वतंत्र हैं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी घोषणा करवाने का वादी को कोई अधिकार नहीं हैं। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)